राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(10)एमई / ग्रुप–1 / 01 जयपुर, दिनांक : 26/4/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, शिशु शल्य के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.–3, 15600–39100 (ग्रेड पे रू. 6600/–) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)एफडी/ रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08–06–2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/– प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03–7–2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. राहुल गुप्ता 202–ए, ए–3 ब्लॉक, कमल अपार्टमेन्ट–2, बनीपार्क, जयपुर (राज.)–302006	M-01	18.9.1979	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, कोटा

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम कमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आदेश से,
26/4/17
(भगवत सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(10)भर्ती/गोपनीय/2014–15/521 दिनांक 03.3.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर ।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
6. संबधित अभ्यर्थी को **रजिस्टर्ड डाक द्वारा।**
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

((महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव